FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

..........हरलाल.......... बनाम ....ओमल..........

किस्म मुकदमा....पत्थरगढ़ी.... नं. ....५४/१७.... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
2-4-2-2021	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा....ओपजी का खेड़ा.... पटवार मण्डल ....बड़वाई.... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ....123/1 रकबा 1.0800 हे० व आ.न.... ....124/1.... रकबा ....0.2100.... हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के संयुक्त खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता है इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को ....1000/-.... अक्षरे ....एक हजार रुपये.... फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा ....ओपजी का खेड़ा.... पटवार मण्डल....बड़वाई.... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ....123/1 रकबा 1.0800 हे० व आ.न. 124/1 रकबा 0.2100 हे.... .... रकबा/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुक्ममल तौर पर की जावें। आराजी के विभक्त होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक ....16.4.2021.... तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे। पालना [illegible] होने पर संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Purshotam Meena Date: 2021.03.09 14:31:59 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड मजिस्ट्रेट डूंगला	